—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 58/2019

उनवान

पूसा पुत्र हाबू जाति रेगर निवासी ग्राम चाट, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. मदनलाल पुत्र हाबू
2. मदनलाल,
3. रतनलाल,
4. सीता,
5. संपति पि. हाबू जाति रेगर नि. चाट नसीराबाद,
6. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 4 अनुपस्थित, 5 जरियें राज. पैरोकार

वद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 18.8.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चाट के खाता संख्या 106/103 किता 4 रकबा 1.00, 60/61 किता 4 रकबा 2.02 व 152/133 किता 2 रकबा 0.51 की आराजी वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी /काश्तकारी की है। खाता संख्या 106/103 की आराजी पर वादी का नाम पूसा के स्थान पर छोटू व खाता संख्या 152/133 में पूसा के स्थान पर रामेश्वर गलत व त्रुटिपूर्ण तरीके से अंकित कर दिया है। रामेश्वर व छोटू नाम का हाबू के कोई पुत्र नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, सरपंच का शजरा प्रमाण पत्र, अंकतालिका, जाति प्रमाण पत्र से भी उक्त तथ्य सिद्व होता है। उपरोक्त त्रुटि राजस्व अभिलेख में सहवन से हुयी है। उक्त त्रुटि दुरूस्त नही होने से नाना किस्म के विवाद उत्पन्न होने की संभावना है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम पूसा दर्ज करने के आदेश पारित करावे। इस आशय की आज्ञप्ति बहक वादी जारी की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रति[illegible] को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 बावजूद तामीली [illegible] रहें राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नही होने के [illegible] कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थ[illegible] में राजस्व अभिलेख व [illegible] के पहचान

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:01:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

दस्तावेज पेश किये व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम चाट की आराजी मुतनाजा खाता संख्या खाता संख्या 152/133 की आराजी पर वादी का नाम रामेश्वर व छोटू के स्थान पर पूसा अंकित करवाना चाहता है। वादी का कथन है कि आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम त्रुटिपूर्ण अंकित कर दिया है। वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पहचान पत्र, सरपंच का शजरा प्रमाण पत्र में वादी का नाम पूसा ही अंकित हैं। किन्तु वादी को अपने कथन सिद्व करने हेतु ऐसे दस्तावेज पेश करने थे जिनके द्वारा सिद्व हो सके कि आराजी मुतनाजा वादी की पुश्तैनी है तथा पूर्व राजस्व अभिलेख में किस नामानतकरण अथवा इन्द्राज से वादी का नाम ताराचन्द व रामरतन अंकित कर दिया है। पूर्व राजस्व अभिलेख के अभाव में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता हैं। वादी ने वाद पत्र में अंकित कथनों को सिद्व करने के लिये कोई ठोस साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। अतः वादी इन्द्राज दुरूस्ती का अधिकारी नही है।

उक्तानुसार ग्राम चाट के खाता संख्या 106/103 किता 4 रकबा 1.00 व 152/133 किता 2 रकबा 0.51 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:01:40 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

पूसा बनाम मदनलाल

दावा बाबत :— 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर — 58 / 2019
पेश करने की दिनांक — 03.06.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम चाट के खाता संख्या 106 / 103 किता 4 रकबा 1.00 व 152 / 133 किता 2 रकबा 0.51 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।
बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 18 माह 8 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इंजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:01:40 IST
Reason: SelfAttested